अपील संख्या 296/2026 तहसीलदार, बायतू बनाम ग्राम अशोक कुमार वगैराह

कार्यालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.04.2026	पत्रावली बाद कार्यालय जॉच होकर पेश हुई। उक्त अपील राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतू जिला बाड़मेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 258/2025 अनवान तहसीलदार, बायतू बनाम अशोक कुमार वगैराह में पारित आदेश दिनांक 18.03.2026 के विरूद्ध दिनांक 24.04.2026 को प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न अपीलान्ट के द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। रेस्पो0 संख्या 43 की ओर से श्री पीराणे खान अधिवक्ता के द्वारा केविएट पेश किया गया । अपीलान्ट स्वयं एवं उनकी ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता तथा रेस्पो0 संख्या 43 के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण के द्वारा की गई विस्तृत बहस को सुना गया। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई अपील की प्रकृति को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश को स्थगित किया जाने तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु निवेदन किया। प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 43 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का कथन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन को आदेश 09 नियम 8 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने को उचित बताया तथा आदेश 09 नियम 8 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज किये गये आवेदन के विरूद्ध पेश की गई इस अपील पर न्यायालय का सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने तथा अपील पोषणीय नहीं होने का कथन किया गया। साथ ही वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद दायर होने तथा विचाराधीन होने के कारण उसके पश्चात उसी समान विषयवस्तु	

30/4/26.

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

समान पक्षकार एवं समान अनुतोष के सम्बन्ध में कोई अन्यत्र कार्यवाही किये जाने को विधि के विपरित होना बताया। अतः प्रस्तुत अपील को पोषणीय नहीं होने से, सुनवाई क्षेत्राधिकार की नहीं होने से इसी प्रारम्भिक स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया गया। अपने कथनों के समर्थन में रेस्पोडेन्टस अधिवक्तागण के द्वारा दस्तोवजात की प्रतियॉ तथा न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ पेश किये गये।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में प्रस्तुत अपील की पोषणीयता/ग्राहयता, अपीलाधीन आदेश पर न्यायालय हाजा को सुनवाई क्षेत्राधिकार होने, आदेश 09 नियम 8 सपठित धारा 151 सीपीसी, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 इत्यादि का बगौर अवलोकन किया गया। **आदेश 09 नियम 8** सपठित धारा 151 सीपीसी में यह प्रावधान किया हुआ है कि —

''जहॉ केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है वहॉ प्रकिया– जहॉ वाद की सुनवाई के लिये पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं होता है, वहॉ न्यायालय यह आदेश कि वाद को खारिज किया जाये। किन्तु यदि प्रतिवादी दावे या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति पद प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री पारित करेगा और जहॉ दावे का केवल भाग ही स्वीकार किया गया हो, वहॉ वह वाद को वहॉ तक खारिज करेगा जहॉ तक उसका सम्बन्ध अवशिष्ट दावे से हैं।''

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन को उक्त आदेश 09 नियम 8 सपठित धारा 151 सीपीसी के आधार पर खारिज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। आदेश 09 नियम 8 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पारित किये गये आदेश के विरूद्ध **अग्रेतर कार्यवाही करने के सम्बम्ब में आदेश 09 नियम 9** सपठित धारा 151 सीपीसी में यह प्रावधान किया हुआ है कि

30/4/26
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

—

"व्यक्तिक्रम के कारण वादी के विरूद्ध पारित डिक्री नये वाद का वर्जन करती है। (1) जहाँ वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागतः खाजिर कर दिया जाता है तो वहाँ वादी उसी वाद हेतुक के लिये नया वाद लाने से प्रवारित हो जायेगा। किन्तु वह खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिये आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि जब वाद की सुनवाई के लिये पुकार पड़ी थी, उस समय उसकी अनुपसंजाति के लिये पर्याप्त हेतूक था तो न्यायालय खर्चो या अन्य बातों के बारे में ऐसे निबन्धनो पर जो वह ठीक समझे, खारिजी को अपास्त करने का आदेश करेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिये दिन नियत करेगा

(2) इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि आवेदन की सूचना की तामील विरोधी पक्षकार पर न कर दी गई हों।"

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2026 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत अपील पेश नहीं की जा सकती है और न ही अपीलीय न्यायालय उस पर सुनवाई किये जाने का अधिकार रखता है। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों पर मनन करने, प्रस्तुत दस्तावेजों, न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन करने के उपरान्त अपीलान्ट की ओर से पेश यह अपील पोषणीय नहीं होने, सुनवाई क्षेत्राधिकार की नहीं होने से इसी स्तर पर अस्वीकार की जाती है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में आदेश 9 नियम 9 सपठित 151 सीपीसी में दिये गये प्रावधानों के तहत उचित स्तर पर चाराजोही कर सकते है।

30/4/26.

(सुनीता चौधरी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर